CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY, BHILAI
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

क्रमांक : छस्वावितवि / प्रशा. / 2018 / 2538 भिलाई, दिनांक : 24.10.18

अधिसूचना

एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि अध्यादेश क्रमांक 5 एवं 6 में संशोधित (नवीन) प्रावधान अनुसार पुनःपुनर्मूल्यांकन पश्चात असंतुष्ट होने पर पुनःपुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित होने की तिथि से सात दिनों के अंदर परीक्षार्थियों को "Appellate Body" (अपीलीय निकाय) के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा। अपील हेतु रू. 1500 /– प्रति प्रश्न पत्र शुल्क का निर्धारण किया गया है। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं प्रक्रिया निर्देश विश्वविद्यालय के वेबसाइट **www.csvtu.ac.in** में उपलब्ध है।

24/10/18
कुलसचिव,
छस्वावितवि, भिलाई

क्रमांक : छस्वावितवि / प्रशा. / 2018 / 2539 भिलाई, दिनांक : 24.10.18
प्रतिलिपि :

1. प्राचार्य / डायरेक्टर, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. विश्वविद्यालय सूचना पटल एवं विश्वविद्यालय के वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु।
3. निज सहायक मा. कुलपति।
4. मास्टर फाइल।

24/10/18
कुलसचिव,
छस्वावितवि, भिलाई

CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY, BHILAI

पुनःपुनर्मूल्यांकन पश्चात अपीलीय निकाय के समक्ष उत्तर–पुस्तिकाओं के परीक्षण हेतु आवेदन–पत्र

अभ्यर्थी आवेदन–पत्र स्वयं भरे एवं भरने के पूर्व नियमों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें।

नवीनतम पासपोर्ट साइज छायाचित्र

प्रति,

कुलपति
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय
उतई रोड, नेवई, भिलाई, 491107

महोदय,

मैं निवेदन करता/करती हूं कि मुझे पुनःपुनर्मूल्यांकन पश्चात आवेदित विषय में से निम्नलिखित प्रश्न–पत्र की उत्तर–पुस्तिकाओं के अपीलीय निकाय के समक्ष परीक्षण हेतु अनुमति नियमानुसार प्रदान करें।

1. आवेदक का नाम	
2. अनुक्रमांक	
3. नामांकन क्रमांक	
4. पिता का नाम	
5. महाविद्यालय का नाम	
6. परीक्षा केन्द्र का नाम एवं पता	
7. घर का पता तथा मोबाइल नंबर	
8. पुनःपुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषणा की तिथि	
9. अपीलीय निकाय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रश्न–पत्र/पत्रों के नाम	1. 2.

10. निर्धारित शुल्क रू. .... (अक्षरी रूपये) .... विश्वविद्यालय कार्यालय में संलग्न नगद रसीद क्रमांक/बैंक ड्राफ्ट क्र. .... दिनांक .... से जमा किया है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि इस आवेदन–पत्र में दी गई जानकारी सही हैं तथा जानकारी त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य पाये जाने पर विश्वविद्यालय को मेरा आवेदन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

संलग्न :
(i) आपत्ति सम्बन्धी प्रपत्र
(ii) प्रवेश पत्र की छाया प्रति।
(iii) पुनःपुनर्मूल्यांकन परिणाम की छाया प्रति।
(iv) पुनःपुनर्मूल्यांकन के स्कोर शीट की छाया प्रति।
(v) उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति।

दिनांक : ....

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

आपत्ति संम्बन्धी प्रपत्र

नाम .... रोल नम्बर .... सेमेस्टर ....

क्र.	विषय/विषय कोड	प्रश्न क्रमांक जिसमें छात्र को कम अंकों के संबंध में आपत्ति हो	पुनःपुनर्मूल्यांकन में प्राप्त अंक	आपत्ति के संबंध में छात्र का तर्क/रिमार्क

पुनःपुनर्मूल्यांकन पश्चात अपीलीय निकाय के समक्ष उत्तर–पुस्तिकाओं के परीक्षण हेतु आवेदन–पत्र संबंधी प्रक्रिया के निर्देश

1. परीक्षार्थी विश्वविद्यालय अपीलीय निकाय के समक्ष उत्तर–पुस्तिकाओं के परीक्षण हेतु निर्धारित नियमों व निर्देशों का समुचित अध्ययन करने के उपरांत नियमों के अधीन आवेदन करें।
2. पुनःपुनर्मूल्यांकन परिणाम निर्गमन तिथि से 07 दिवस की अवधि में अपीलीय निकाय के समक्ष उत्तर–पुस्तिकाओं के परीक्षण हेतु शुल्क रूपये 1500/– प्रति प्रश्न–पत्र जमाकर उत्तर पुस्तिकाओं के परीक्षण हेतु आवेदन किया जा सकता है।
3. निर्धारित शुल्क विश्वविद्यालय के कैश काउंटर में सीधे नगद जमा अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट कुलसचिव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के पद में देय होगा। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. छात्र अपना अवेदन–पत्र विश्वविद्यालय के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं। पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन पत्र इस पते पर भेंजे –

   प्रति,

   कुलसचिव,
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई
नेवई, पोस्ट ऑफिस नेवई, भिलाई, जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़, 491107

   अंतिम तिथि पश्चात प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक से प्रेषित आवेदन पत्रों पर भी यह नियम लागू होगा।

   लिफाफे पर मोटे अक्षरों में **''पुनःपुनर्मूल्यांकन पश्चात अपीलीय निकाय के समक्ष उत्तर–पुस्तिकाओं के परीक्षण हेतु आवेदन–पत्र''** अवश्य अंकित करें।
5. आवेदन–पत्र सोच समझकर सही–सही भरा जावे। आवेदन–पत्र में किसी भी प्रकार का सुधार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थी केवल अपनी ही उत्तर–पुस्तिकाओं के परीक्षण हेतु आवेदन कर सकता है।
6. अपीलीय निकाय के समक्ष उत्तर–पुस्तिकाओं के परीक्षण हेतु 'आवेदन–पत्र' का प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.csvtu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं।
7. आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करेंगे :–
   (i) प्रवेश पत्र की छाया प्रति।
   (ii) अपील शुल्क रसीद की छाया प्रति।
   (iii) पुनःपुनर्मूल्यांकन परिणाम की छाया प्रति।
   (iv) पुनःपुनर्मूल्यांकन के स्कोर शीट की छाया प्रति।
   (v) उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति।
8. आवेदक को परिणाम की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.csvtu.ac.in के माध्यम से स्वतः लेनी होगी। अपील शुल्क जमा करने के पश्चात पुनःपुनर्मूल्यांकन के स्कोर शीट की छाया प्रति विश्वविद्यालय से प्राप्त करें। यदि आप पूर्व में उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त नहीं की है तो निर्धारित शुल्क जमा कर उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करें।
9. आवेदक अधिकतम दो प्रश्न–पत्र के परीक्षण हेतु आवेदन कर सकता है। दोनों प्रश्न–पत्रों के लिए अलग–अलग आवेदन–पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। एक ही आवेदन में दो प्रश्न–पत्रों के लिए आवेदन किया जा सकता है।
10. छात्र द्वारा दर्ज आपत्ति का विवरण अनिवार्यतः भरा जावे अन्यथा आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
11. अपीलीय निकाय द्वारा परीक्षणोंपरांत पारित निर्णय अंतिम होगा।